



भारत सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)

Ministry of Environment, Forest and Climate Change  
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5<sup>th</sup> Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025  
Email: (Env.) m\_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeffolko@gmail.com

पत्र सं० 8 बी/राज०/06/17/2015/एफ.सी. | 263

दिनांक: 12.07.2018

सेवा में,

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,  
वन विभाग, अरण्य भवन,  
झालना इंस्टीट्यूशनल एरिया, जयपुर, राजस्थान

**Online Proposal No.- FP/RAJ/ROAD/6988/2014**

**विषय : Diversion of 2.0 ha. of forest land for construction of road from Ramgarh-Kalapatta road to Karwala Laxmipura under RRSMP in Raj. In Baran Forest Division.**

**सन्दर्भ : अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, जयपुर, राजस्थान का पत्रांक—  
एफ14 (Road)/2014/एफ०सी०ए०/प्रमुवसं/2783, दिनांक— 12.06.2018**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक— 16.03.2018 द्वारा आवश्यक सूचना चाही गयी थी जिसकी अनुपालना आख्या अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, जयपुर के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना प्रस्तुत करें।

1. प्रभागीय वनाधिकारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत उल्लंघन नहीं किया गया है।
2. क्षतिपूरक वृक्षारोपण भूमि उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा अन्य प्रपत्र पूर्व में प्रेषित प्रस्ताव के अनुरूप हैं या नहीं? यदि प्रस्ताव की वस्तुस्थिति में कोई परिवर्तन हुआ है तो संशोधित प्रपत्र भी प्रस्तुत करें।

भवदीय,

(बृजेन्द्र स्वरूप)  
वन संरक्षक(के.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ—

1. विशेष सचिव (वन), राजस्थान सरकार, जयपुर, राजस्थान।
2. उप वन संरक्षक, बारां, राजस्थान।
3. अधिशासी अभियन्ता, सा० नि० वि०, एन.एच. बारां, राजस्थान।
4. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
5. आदेश पत्रावली।

12/7/18  
(बृजेन्द्र स्वरूप)  
वन संरक्षक(के.)